



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 243-डीएस-आ0प्र0(23) / पाकालि / 2018

दिनांक: 04 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर एतदद्वारा निम्नांकित लेखाकार को सहायक^०लेखाधिकारी के पद पर दिनांक 30.06.2017 से प्रोन्नत (Notional Promotion) करते हुए कार्यहित में स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित निगम को आवण्टित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम/ गृह जनपद/जन्मतिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	लेखाकार के पद पर तैनाती का कार्यालय/निगम	सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती आवंटित निगम
1	2	3	4
1.	श्री रतन लाल/पुत्र श्री हंसराज/ (बर्ती)/(अनु0जाति)/26.03.1968/ 31.03.2028	लेखाकार पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी	सहायक लेखाधिकारी पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी (ऐन्जन सेल/आन्तरिक सम्प्रेक्षा इकाई में तैनाती हेतु)

1. सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नत हो रहे लेखाकार के वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम का नाम यथा उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है। यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में आदेश में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।
2. उपर्युक्त प्रोन्नत कार्मिक को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय। ऐसे अधिकारी जो सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, स्थानान्तरण नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 425-ज0श0 एवं प्र0सु0-1/पाकालि/2017-100(1)प्र0सु0/92 दिनांक 16.06.2017 के बिन्दु संख्या 10(i) में निहित व्यवस्थानुसार, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
3. नव तैनाती कार्यालय/निगम में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में, स्थानान्तरण नीति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 425-ज0श0 एवं प्र0सु0-1/पाकालि/2017-100(1)प्र0सु0/92 दिनांक 16.06.2017 के बिन्दु संख्या 10(ii) में निहित व्यवस्थानुसार, अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
5. निगम को आवण्टित कार्मिक की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 243-डीएस-आ०प्र०(२३) / पाकालि / 2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० ऊर्जा मंत्री जी/मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०समिशन का०लि०।
6. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
8. उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से

(अरुण कुमार राय)
उप सचिव (२३)